खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायत/ब्लॉक/जिला बनाने के लिए मानक कार्यविधि

राज्य सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप राजस्थान को खुले में शौच से मुक्त किया जाना है। ओपरेशनल गाइडलाइन के आधार एवं कियान्वयन के अनुभव को देखते हुए राज्य के सभी जिलों को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए एक मानक कार्यविधि(Standard Operating Procedure)बनाई गई है। इस कार्यविधि में सभी गतिविधियों का विवरण देते हुए उत्तरदायी अधिकारी एवं उनके द्वारा की जानेवाली गतिविधियो को चिन्हित किया गया है।

क0	गतिविधि	उत्तरदायित्व	टिप्पणी
1.	अभियान हेतु दल का गठन		
1.1	जिला प्रबन्धन दल गठित करना	कलक्टर/ सी.ई ओ.	निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत जिला स्वच्छता मिशन जिले का सर्वोच्च निकाय है जिसके अध्यक्ष जिला प्रमुख है सह अध्यक्ष जिला कलक्टर एवं सदस्य सचिव मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। दैनिक गतिविधियों हेतु कार्यकारी निर्णय लेने के लिए जिला स्तर पर एक कोर ग्रुप होगा जिसमें जिला कलक्टर, मुख्य/अति. मुख्यकारी अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक,एन.बी.ए. नरेगा प्रभारी शामिल होंगे। यह समूह सप्ताह में एक बार बैठक कर कार्यक्रम की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेगा।
1.2	जिला संदर्भ समूह (डी.आर.जी)	कलक्टर/ सीईओ	जिले में पंचायतों की संख्या के आधार पर 25 से 30 स्वच्छता विशेषज्ञों का संदर्भ समूह होगा जो ग्राम पंचायतों में ट्रिगरिंग एवं अनुगमन (फोलोअप) करेगा। इससे ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त बनाने का वातावरण बनेगा। (आदेश कमांक 2256 दिनांक 3 जनवरी2014 के अनुसार गतिविधिया की जाएंगी।) जिला संदर्भ समूह की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सीसीडीयू द्वारा पांच दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान मूल्यांकन कर प्रमाणित व्यक्तियों की ही सेवाएं ली जाएगी।
1.3	पंचायत समिति प्रबंधन दल	सीईओ/उपखंड अधिकारी	पंचायत समिति स्तर पर दैनिक की गतिविधियों हेतु कार्यकारी निर्णय लेने के लिए एक कोर ग्रूप का गठन बी.डी.ओ द्वारा किया जाएगा। जिसमें उपखंड अधिकारी,विकास अधिकारी,ब्लाक कोर्डिनेटर,एन.बी.ए. एवं नरेगा प्रभारी अधिकारी शामिल होंगे। यह समूह सप्ताह में एक बार बैठक कर ग्राम पंचायतों में किए जा रहे कार्यक्रम की समीक्षा करेगा।
1.4	नोडल अधिकारी नियुक्ति	जिला कलक्टर/सीईओ	जिला कलक्टर द्वारा अभियान हेतु चिन्हित प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक राजपत्रित अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। नोडल अधिकारियों द्वारा सप्ताह में एक बार आवंटित ग्राम पंचायत में कियान्वित किए जा रहे अभियान का समन्वयन करना एवं प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर ब्लाक प्रभारी को प्रस्तुत करेगा।
1.5	प्रेरकों की नियुक्ति	सीईओ/बीडीओ/ग्राम	प्रेरकों का चयन ग्राम पंचायत वार जिला स्वच्छता मिशन द्वारा निर्धारित प्रकिया से किया जाएगा। इनका मुख्य कार्य